(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा;

(घ) क्या यह सच है कि नई वाणिज्यिक नीति से निर्यातक निराश हुए और निर्यात पर इसका विपरीत असर पड़ा है; और

(ङ) क्या सरकार अपनी वाणिज्यिक और निर्यात नीति में कोई संशोधन करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है। [नीचे देखिए]

(ग) विभिन्न वितरण प्राधिकारियों ने 1190 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धन की अपनी आवश्यकताएं प्रदर्शित की है। इस आवश्यकता के आधार पर उन्हें 410 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं जो कि सी सी एस के लम्बित दावे का भुगतान करने के लिए उनकी आवश्यकता पर आधारित है।

(घ) सामान्यतः निर्यातकों ने जुलाई तथा अगस्त, 1991 में सरकार द्वारा घोषित व्यापार सुधारों का स्वागत किया है।

(ङ) आयात और निर्यात की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीति में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

विवरण

निर्यातकों को सुविधाएं तथा नई निर्यात नीति

आयात तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस पंजीकृत निर्यातकों को दिए जा रहे हैं:-

(i) वास्तविक निर्यातों—माने गए निर्यातों तथा सेवा निर्यातों के बदले में निर्यात पश्चात् आधार पर जारी एग्जिम स्क्रिप्स;

(ii) मान्यता प्राप्त निर्यात घरानों / व्यापार घरानों को जारी अतिरिक्त एग्जिम-स्क्रिप्स;

(iii) मान्यता प्राप्त शीर्ष व्यापार घरानों को विशेष अतिरिक्त एग्जिम-स्क्रिप्स;

(iv) शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत निर्यात पूर्व आधार पर जारी विभिन्न लाइसेंस यथा अग्रिम लाइसेंस विशेष अग्रदाय लाइसेंस, ब्लैंकिट अग्रिम लाइसेंस मध्यवर्ती अग्रिम;

(v) तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यातकों को निर्यात-पूर्व आधार पर जारी हीरा। डी टी सी अग्रदाय लाइसेंस;

(vi) सोने तथा चांदी के आभूषणों के निर्यातकों को जारी रत्न एग्जिमा स्क्रिप्स;

(vii) सोने तथा चांदी के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त किया जाने वाला रिलीज आर्डर;

(viii) सोने के आभूषण निर्यातकों को निर्यात-पश्चात् आधार पर जारी स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस;

(ix) सोने के आभूषण के निर्यातकों को निर्यात-पश्चात् आधार पर जारी स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस;

(x) निर्यात संसाधन क्षेत्रों / मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित एककों तथा 100% निर्यातोन्मुखी एककों के रूप में अभिज्ञात एककों, जिन्हें पूंजीगत भाव, कच्ची सामग्री, संघटकों, फालतू पुर्जे आदि के आयात की अनुमति है, के लिए खुला सामान्य लाइसेंस। इसी नीति से, भारत के कुल निर्यातों में अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान 30.8% की वृद्धि हुई है।

Import Bill and Decanalisation of Raw Materials

47. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what has been the import bill during the last 6 months as compared to the import bill of the previous 3 years;

(b) what are the items that come under the canalised imports alongwith the amount of import bill for the last 3 years;

(c) whether Government are considering the decanalisation of raw materials and putting them under OGL; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) The trade figures are compiled on the financial year basis. India's imports during April-December, 1991 amounted to Rs. 34238 crores. The import bills for the previous three years were Rs. 28235 crores for 1988-89, Rs. 35412 crores for 1989-90 and Rs. 43171 crores for 1990-91.

(b) Broadly the canalised imports relate to the import of cereals and cereal preparations, fertilizers, edible oil, nonferrous metals, Paper, paper-board and newsprint, Sugar, Metalliferrous Ores & Metals crap, Iron & Steel, Petroleum and Petroleum products. The import of these items amounted to Rs. 10366 crores during 1988-89, Rs. 13535 crores in 1989-90 and Rs. 17989 crores in 1990-91.

(c) and (d) The question of decanalisation of import of raw materials, etc. is being considered in connection with the new Import-Export Policy to be announced on 1.4.1992.

Restructuring the Foreign Trade Offices under the Ministry of Commerce

48. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there is any programme to restructure the foreign trade offices under his Ministry;

(b) what are the details of trade offices in foreign countries under his Ministry and the amount of foreign exchange spent on them countrywise; and

(c) whether Government are thinking of restructuring the policy towards the foreign offices?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) and (c) Yes, Sir,

(b) Details of trade offices in foreign countries and amount of foreign exchange spent thereon during 90-91 are given in the statement attached.

Statement

	Location (Country)		Name of office	Expenditure incurred during (90-91) in lkh. in FFE
	1		2	3
	New York	U.S.A.	MPEDA	26.53
			Tea Board	45.27
			TDA	45.40
			STC	67.31
	Brussels	Belgium	ITC	128.00
			Tea Board	123.09
	Frankfurt		TDA	53.13
		German	STC	97.33
	Berlin		STC	12.15
	Tokyo	Japan	TDA	71.18
			MMTC	62.52
			MPEDA	40.76
	London	(U.K.)	Tea Board	162.69
			STC	93.86
(Since Closed)	Sydney		Tea Board	23.91
	Melborne	Australia	STC	23.58
(Since closed)	Dubai	UAE	TDA	12.85
	Cairo	Egypt	Tea Board	15.12
(Since closed)	Kuwait		Tea Board	6.32
			STC	8.49
(Since closed)	Harare	Zimbabwe	TDA	10.89
			STC	4.72
			PEC	4.80
	Kualalampur	Malaysia	TDA	7.49
	Hong Kong		STC	42.03
	Jeddah	(S. Arabia)	STC	28.51
	Nairobi	(Kenya)	STC	4.80
			PEC	4.08
	Singapore	City	STC	40.70
	Male	(Maldives)	STC	3.54
	Paris	(France)	STC	52.26
	Moscow	(USSR)	STC	11.61
			PEC	26.46
	Seoul	(S.Korea)	MMTC	38.51
	Amman	(Jordan)	MMTC	15.01
	Bucharest	(Romania)	MMTC	18.71
	Vietnam		PEC	12.36
				1445.97

कृषि-उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्धों का विरोध

49. **डा० बापू कालदाते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान संगठनों ने कृषि-उत्पादों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्धों के विरुद्ध महाराष्ट्र में 500 से अधिक स्थानों पर "रास्ता रोको" आन्दोलन चलाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रतिबन्धों को हटाने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और